[redacted]

पत्रांक 57/14-2-2019-800(39)/2015

प्रेषक,

आशीष तिवारी,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/
नोडल अधिकारी
30प्र0, लखनऊ।

वन एवं वन्य जीव अनुभाग-2 लखनऊ, दिनांक 1 फरवरी , 2019

विषय- एटा–शिकोहाबाद मार्ग (एस0एच0–85) किमी0 3.1325 की दायी पटरी पर ग्राम निधौली खुर्द के खसरा संख्या–999स/1 में एस्सार ऑयल लि0 द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.075028 हे0 (पूर्व में 0.0794) संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या-57/ एटा /13100/2015, लखनऊ, दिनांक 04-01-2019 तदक्रम में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ के सैद्धांतिक स्वीकृति दिनांक 11-5-2018 व विधिवत स्वीकृति दिनांक 27-12-2018 का सन्दर्भ ग्रहण करें।

2- इस संबंध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि एटा–शिकोहाबाद मार्ग (एस0एच0–85) किमी0 3.1325 की दायी पटरी पर ग्राम निधौली खुर्द के खसरा संख्या–999स/1 में एस्सार ऑयल लि0 द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.075028 हे0 (पूर्व में 0.0794) संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के संबंध में भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ द्वारा प्रदत्त स्वीकृति तथा राज्य सरकार की शर्तों/प्रतिबन्धों एवं मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेशों को सम्मिलित करते हुए एतद्द्वारा विज्ञप्ति (Notification) निर्गत की जाती हैं-

(1) वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

(2) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा विभाग के पक्ष में क्षतिपूरक वृक्षारोपण के अंतर्गत 100 वृक्षों का रोपण एवं 10 वर्षों तक रख-रखाव किया जायेगा।

(3) प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा प्रभावित वन भूमि के दुगुने अवनत वनभूमि 0.150056 हे0 पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख-रखाव किया जायेगा। यह वृक्षारोपण विधिवत स्वीकृति जारी होने के एक वर्ष के भीतर पूर्ण किया जायेगा।

(4) अगर शुद्ध वर्तमान मूल्य की दरों में बढोत्तरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन0पी0वी0 की बढी हुई दर की अतिरिक्त राशि जमा करनी होगी।

(5) प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रकरण् में वन संरक्षण अधिनियम के उल्लंघन के लिये भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्रांक एफ0नं011-42/एफसी, दिनांक 29-01-2018 में जारी दिशा-निर्देशों के बिन्दु सं0 बी (2) में निहित निर्देशानुसार वसूलनीय दण्डात्मक एन0पी0वी0 की धनराशि आदि विभाग के पक्ष में जमा की जायेगी।

Scanned by CamScanner

(6) प्रस्तावित वन भूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जायेगा।

(7) स्थापित पेट्रोल पम्प की चहारदिवारी से 1.5 मीटर की दूरी बनाये रखते हुए परिसर के चारों तरफ कम आच्छादन वाले वृक्षों का रोपण किया जाएगा जिसमें वृक्षों की अन्तर दूरी 1 से 1.5 मीटर रखी जाएगी।

(8) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सड़क किनारे वृक्षारोपण को बिना क्षति पहुंचाये पेट्रोल पम्प के लोकेशन को दर्शाने वाले साइन बोर्ड/मार्किंग समुचित स्थान पर लगाये जायेगें।

(9) पेट्रोल पम्प सामान्यत: रेस्ट एरिया काम्प्लेक्स जिसमें सभी जनसुविधाएं यथा पार्किंग शौचालय आदि उपलब्ध हों, का हिस्सा होना चाहिए। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा ऐसे भवनों के निर्माण की पूर्ण योजना तैयार की जाएगी ताकि सड़क किनारे वृक्षारोपण को न्यूनतम क्षति पहुंच सके।

(10) प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।

(11) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वन क्षेत्र के आस पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जायेगा।

(12) प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जायेगा। प्रत्येक पीलर पर क्रमांक, डी0जी0पी0एस0, निर्देशांक, बैकवर्ड और फारवर्ड बियरिंग एवं अपने निकटवर्ती पीलर से दूरी दर्शायी जायेगी। उक्त सीमांकन का कार्य विधिवत स्वीकृति जारी होने के 03 माह के भीतर पूर्ण किया जायेगा।

(13) प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में केन्द्र सरकार द्वारा विधिवत स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।

(14) मा0 उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या-566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या-5-3/2007-एफ0सी0, दिनांक 05-02-2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि एवं अन्य अनुमन्य देयक, प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (Compensatory Afforestation Fund, Management and Planning Authority) में वन विभाग के माध्यम से जमा की जायेगी।

(15) प्रस्तावक विभाग के सम्बंधित अधिकारी, कर्मचारी अथवा ठेकेदार या उक्त व्यक्तियों के अधीन या उनसे सम्बंधित कोई भी व्यक्ति किसी भी वन सम्पदा को क्षति नहीं पहुंचायेंगे और यदि उक्त व्यक्तियों से वन सम्पदा को कोई क्षति पहुंचती है अथवा पहुंचायी जाती है, तो उसके लिए सम्बंधित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रतिकर प्रस्तावक विभाग पर बांध्यकारी होगा।

(16) उक्त वन भूमि प्रस्तावक विभाग के उपयोग में प्रश्नगत अवधि के अन्दर तब तक रहेगी जब तक कि प्रस्तावक को उसकी उक्त हेतु अवश्यकता रहे। यदि प्रस्तावक को उक्त वनभूमि अथवा उसके किसी भाग की आवश्यकता न रहेगी तो यथास्थिति उक्त वनभूमि अथवा उसका ऐसा भाग जो प्रस्तावक विभाग के लिए आवश्यक न रहे, वन विभाग, उ0प्र0 सरकार को बिना किसी प्रतिकर का भुगतान किये यथास्थिति वापस प्राप्त हो जायेगी।

(17) वन विभाग के अधिकारी/कर्मचारी अथवा उसके अभिकर्ताओं को किसी भी समय जब वे आवश्यक समझे प्रश्नगत वनभूमि का निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

(18) प्रयोक्ता अभिकरण को यह वचनबद्धता देनी होगी कि यदि एन0पी0वी0 की धनराशि में इस अवधि में वृद्धि होती है तो इसका भुगतान किया जायेगा।

Scanned by CamScanner

1035

श्री कोंकोल / MIS सेल वेबसाइट पर अपलोड करें।

(19) भारत सरकार के पत्र संख्या- 5-3/2007 एफसी (पीटी), दिनांक 19-8-2010 तथा पत्र संख्या- J-11013/41/2006-IA-II(I), दिनांक 02 दिसम्बर, 2009 के अनुसार प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्होंने, यदि लागू है तो (if applicable), कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व सक्षम स्तर से पर्यावरणीय अनापत्ति/अनुमोदन तथा वन्य जीव की दृष्टि से स्टैंडिंग कमेटी ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से अनुमोदन अलग-अलग प्राप्त कर लिया गया है।

(20) यदि प्रश्नगत भूमि सेन्चुरी/नेशनल पार्क में सम्मिलित है, तो मा0 उच्चतम् न्यायालय से अलग से अनुमति प्राप्त करने की कार्यवाही कर ली जायेगी।

(21) समस्त वैधानिक/प्रशासनिक अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(22) उपरोक्त के अतिरिक्त समय-समय पर केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/मा0 न्यायालयों द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।

APCCF (I.T)
22.02.19

भवदीय,

(आशीष तिवारी)
विशेष सचिव।

संख्या 57(1)/14-2-2019-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

(1)- मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय) भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय,क्षेत्रीय कार्यालय,केन्द्रीय भवन, पंचम तल सेक्टर एच, अलीगंज विस्तार,लखनऊ।

(2)- जिलाधिकारी, एटा ।

(3) वन संरक्षक अलीगढ़।

(4)- प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, एटा ।

(5)- डिवीजनल मैनेजर यू0पी0 वैस्ट एस्सार आयल लि0 ए-5 सैक्टर 3 नोएडा।

(6)- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मनोज कुमार सिंह)
अनुसचिव।

कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
पत्रांक-1584 /एटा/13100/2015, दिनांक, लखनऊ, फरवरी 07 2019

प्रतिलिपि-

1- अपर प्रमुख वन संरक्षक, आई0टी0, उ0प्र0, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि विषयगत प्रकरण में उ0प्र0 शासन द्वारा निर्गत विज्ञप्ति को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने की कृपा करें।

2- वन संरक्षक, अलीगढ वृत्त, अलीगढ एवं प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 प्रभाग, एटा को इस आशय से प्रेषित कि उ0प्र0 शासन द्वारा निर्गत विज्ञप्ति में निहित समस्त शर्तों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

3- डिवीजनल मैनेजर, एस्सार ऑयल लि0, ए-5, से0-3, नोएडा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(पंकज मिश्र)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ

Scanned by CamScanner